# FROM No.III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

**अज अदालत** सहायक कलेक्टर (SDO) **मुकाम** बायतु

चैनाराम **बनाम** मनोहराराम वगैरा

**किस्म मुकदमा** 111, 128 RLR act **नं.** 384 **सन्** 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24.12.21 | प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत पुनड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10.01.22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 10/01/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील हेतु शामिल मिसल/इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 14/02/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु | |
| 14/02/2022 | प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की | |

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

| तारीख हुक्म | हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा मेढ आये हुए है प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेढे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आदमियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु पैमायशबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमायशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमायशबन्दी आदेश किया जावें।<br>अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमायशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू० अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की पैमायशबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।<br>सहायक कलक्टर<br>(SDO) बायतु |

राजस्थान–सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक : वाद / 2022 / 1647

दिनांक :– 14/02/2022

**प्रार्थी** **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. चैनाराम पुत्र लिछमणाराम
जाति जाट, निवासी जाखड़ा,
पटवार मण्डल जाखड़ा,
तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. गुणेशाराम पुत्र हीराराम वगैरा 7
जाति जाट, निवासी अणदोणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल जाखड़ा,
तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

**राजस्व आवेदन संख्या – 384 / 2021**

## आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – अणदोणियों जाखड़ों की ढाणी, पटवार मण्डल – जाखड़ा, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 430 / 111 रकबा 1.6268 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 / – जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

–sd–
**(जगदीश सिंह आशिया)**
**उपखण्ड अधिकारी बायतु**
दिनांकः– 14/02/2022

क्रमांक / वाद / 2021 / 1648-52

**प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री चैनाराम पुत्र लिछमणाराम।
4. विप्रार्थी श्री गुणेशाराम पुत्र हीराराम वगैरा 7
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बायतु